



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661

फैक्स / Fax : +91-7152-230903

क्रमांक : 34/2013-14/MJP/11-01/Part File/ 596

दिनांक : 26.02.2019

सूचना

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वर्धा ने अपने पत्रांक जा.क्र./मजीप्राजव्यउवि/तांशा/182/2019 दिनांक 20.02.2019 के माध्यम से सूचित किया है कि दिनांक 19.02.2019 को धाम नदी का जल प्रवाह बंद होने के कारण जल आपूर्ति बंद हो गई है।

जल प्रवाह शुरू होने के बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय को जल आपूर्ति की जा सकेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अन्य वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं।

आप सभी से निवेदन है कि जल संचय करके रखें एवं जल का संयमित उपयोग कर सहयोग करने का कष्ट करें।

सहयोग की कामना के साथ।


(कुलसचिव) 26/02/19

प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रतिकुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी
5. समस्त छात्रावास
6. लीला प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कुलसचिव कार्यालय
8. संबंधित फाइल